समक्ष :न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण /आर/II/2019

हाफिज फईमुद्दीन पुत्र मुस्तजावद्दीन, जाति बोहरा मुसलमान,निवासी श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

..................आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

..................अनावेदक

आवेदन न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चमबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 14/2014–15/ निगरानी में हुये निर्णय दिनांक 24.09.18 के विरूद्व अंतर्गत धारा–7 भूराजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा –7 भू–राजस्व संहिता के तहत निम्नांकित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य :–

यह कि ग्राम मठेपुरा की भूमि सर्वे नम्बर 24/10 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि धूडिया पुत्र लालजी जाति कोली के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर सम्बत 2026 से 2029 में अंकित थी। धूडिया की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसे वारिस पन्ना पुत्र धूडिया, धन्नी, वमंगडी पुत्रीया एवं मु.ग्यारसीबाई बेवा धूडिया के नाम नामांतरण पंजी कमांक 08/15.03.1970 से फौती नामांतरण हुआ था।

यह कि ग्यारसीबाई बेवा धूडिया कोली द्वारा दिनांक 17 जून 1986 से उक्त भूमि सर्वे नम्बर 24/10 में से हिस्सा 1/2 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि कोशल्याबाई पत्नी हरिप्रसाद मित्तल के पक्ष में विकय पत्र लिखवाया था और भूमि की रजिस्ट्री की गई थी और कौशल्याबाई द्वारा विकय पत्र के आधार पर विधिवत राजस्व अभिलेख में नामांतरण पंजी कमांक 07/09.12.97 को नामांतरण स्वीकार किया गया था।

यह कि राजस्व अभिलेख मे नामांतरण होने के पश्चात कौशल्याबाई द्वारा विधिवत उक्त भूमि के डायवर्सन हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

कमंशः.............2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 523/2019/श्योपुर/भू.रा.

हाफिज फईमुद्दीन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03-06-2019	उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र. क्र. 14/2014-15/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-09-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-4-2019 को प्रस्तुत किया गया है। 3/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का आवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष 18 वर्ष से अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से 18 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब को क्षमा किये जाने बावत समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण अपर आयुक्त ने निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया है। अपर आयुक्त न्यायालय के अतिरिक्त इस न्यायालय में भी आवेदक द्वारा 18 वर्ष के विलम्ब को क्षमा किये जाने बावत समाधानकारक कारण दर्शाने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा इस न्यायालय में धारा 7 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत विविध आवेदन प्रस्तुत किया है। संहिता की धारा 7 का प्रयोग इस प्रकरण में किये जाने संबंधी कोई कारण नजर नहीं आते हैं। फलस्वरूप यह विविध आवेदन अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (आर0के0 जैन) 03/6/19 सदस्य	